रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. No. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 308] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 22, 1992/ज्येष्ठ 1, 1914
No. 308] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 22, 1992/JYAISTHA 1, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय
(परिवहन पक्ष)
आदेश
नई दिल्ली, 22 मई, 1992

का. आ. 354(अ):— केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के यान को उक्त सारणी के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में यान के गुरुत्तर वजन अर्थात निरापद अधिकतम, लदान सहित वजन और प्रत्येक धुरी के निरापद अधिकतम धुरी वजन के लिए, जो मोटर यान अधिनियम 1988 (1988 का 59) की धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन इस मंत्रालय की अधिसूचना सं. 416 (अ) तारीख 8-6-1989 में विनिर्दिष्ट है, अनुज्ञा दे सकेगी।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि उक्त सारणी के नीचे विनिर्दिष्ट उपांतरणों/शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपधारा (3) के उपबंध उक्त प्रकार के यान को लागू होंगे।

तालिका

वाहन का प्रकार	प्रचालन क्षेत्र रूट	सकल वाहन भार	पंजीकृत एक्सल भार	परिमाप
कोअरल्स हाईड्रा क्रेन 25/28टन सहित तैयार किया गया एच.एम.वी.प्लेटफार्म	दिनांक 24.3 के जी ओ.सं. 1270 होम टी आर वी. के अनुसार मेट्टूर और वलपराई के बीच सबसे छोटा रूट	32.475टन	फ्रंट एक्स भार 7.599टन अधिकतम एकल एक्सल लोड 12.438 टन	कुल लम्बाई 9.85 एम कुल चौडाई 2.50एम कुल ऊंचाई 3.63एम ओवर हैंगभम अगला 2.57 एम. पिछला 1.99 एम

इस अधिसूचना द्वारा वाहन धुरी के वजन में दी गई छूट केवल पंजीकरण मात्र के लिए है। इसका यह अर्थ नहीं कि ट्रांसपोर्टर इन वाहनों को मुक्त रूप से सड़क के किसी भी खंड पर ले जा सकता है। प्रत्येक वाहन के वास्तविक प्रयोग से पहले, ट्रांसपोर्टरों द्वारा संबंधित रूटों पर भारी माल के आवागमन के लिए गुजरात तथा अन्य संबंधित राज्यों/लोक निर्माण विभागों और संबंधित अधिकारियों से विशिष्ट रूट परमिट प्राप्त करने होंगे और उसमें यथाविधि अनुसार यात्रा रूटों के विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर सड़क मार्ग और उस पर बने भवनों के मामले में पर्याप्त सुरक्षा उपाय देने होंगे। परिवहन प्रचालक और संबंधित राज्य के लोक निर्माण विभाग द्वारा सामूहिक रूप से स्थिति का सर्वेक्षण किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्गों के मामले में इस मंत्रालय के सड़क के पक्ष का सहयोग अनिवार्य होगा। विकल्प के रूप में यह कार्य एक परामर्शक के माध्यम से भी कराया जा सकता है जो ट्रांसपोर्टर और लोक निर्माण विभाग के साथ यह कार्य करेगा।

निम्नलिखित शर्तों का भी अनुपालन अपेक्षित है :—

(i) प्रस्तावित मार्गों की पहले ही स्थिति/रेटिंग सर्वेक्षण कराने और यात्रा मार्गों के यातायात योग्य होने के बारे में संबंधित राज्य एजेंसियों की संतुष्टि के बाद ट्रांसपोर्टरों द्वारा उनसे परमिट प्राप्त किए बगैर किसी भी वाहन का आवागमन नहीं होगा।

(ii) स्थिति सर्वेक्षण के आधार पर यात्रा मार्ग पर कमजोर इमारतों, पुलों, पुलियों इत्यादि का पता लगाया जाएगा जिनसे इमारत की सुरक्षा को खतरा हो अथवा अधिक भार/लदे हुए माल के अधिक बड़े आकार, जिससे यातायात के निर्बाध आवागमन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आवागमनों की अनुमति के पहले ट्रांसपोर्टरों द्वारा अपनी लागत पर उपर्युक्त सर्वेक्षण के दौरान पाई गई कमियों को दूर करने के लिए अनिवार्य सुधार सुरक्षात्मक उपाय करने होंगे। इस संबंध में अन्यों के अतिरिक्त कुछ संभावित सुरक्षा उपचारात्मक उपाय हैं। सुदृढ़ीकरण करना टेक लगाना, कमजोर पुलों, पुलियों का पुनर्निर्माण, कमजोर स्ट्रक्चर पर वाहन चलने की अनुमति की बजाए बेड-लेवल डाईवर्शन प्रदान करना, कमजोर पेवमेंट को सुदृढ़ करना, ऐसे वाहनों की गति को सीमित करना, वाहन के प्रचालन को केवल दिन अथवा शुष्क मौसम के दौरान चलने देना, रात्रि दृश्यता के प्रयोजन से ऐसे आवागमन के लिए गाईड वाहन नियत करना इत्यादि।

(3) सार्वजनिक लोक निर्माण/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा विभिन्न सड़कों पर निर्धारित वजन संबंधी पाबंदी का अमल किया जाएगा और सड़क पर वाहन चलने से पहले इस प्रकार की स्थानीय अधिकारियों की इजाजत ले ली जाएगी।

(4) अपनी क्षमता से अधिक वजन से लदे वाहनों को पुलों और अन्य क्रास ड्रेनेज स्ट्रक्चरों पर गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी और नदी/नाला या "बेड-लेवल डाईवर्शन" इत्यादि से गुजरने के लिए ट्रांसपोर्टर अपना स्वयं प्रबंध करेगा जैसा कि सा. न. वि./स्थानीय अधिकारियों द्वारा निर्देश दिया जाता है।

(5) इन भारी वाहनों के आवागमन से सड़क अथवा सड़क के ढांचे को हुई किसी प्रकार की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हानि के लिए राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार वाहन मालिक पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा।

(6) मार्ग पूर्व निर्धारित किया जाएगा और इन भारी वाहनों के आवागमनों हेतु प्रत्येक बार राज्य लोक निर्माण विभाग स्थानीय निकायों के कार्यकारी अभियंता से पूर्व इजाजत लेनी होगी।

(7) उक्त यान के पारगमन के दौरान वाहन अथवा उसमें लदी हुई वस्तुओं को हुए नुकसान के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/लोक निर्माण विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।

(8) इन सभी वाहनों को आवागमन की अनुमति प्रदान करने का अर्थ यह नहीं होगा कि राज्य के लोक निर्माण विभाग/स्थानीय निकायों के अधिकारी परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार सड़क तथा उसके ढांचे की आवश्यकता के अनुसार वाहनों के आवागमन को नियंत्रित/रोक नहीं सकते।

(9) उक्त यान के छोरों को स्पष्ट और उपर्युक्त रूप से दर्शाने के लिए उस पर आवश्यक चेतावनी सूचक जैसे दिन के समय लाल झंडी लगाना और रात के समय लाल बत्ती का प्रयोग किया जाएगा।

(10) उक्त यान सामान्य रूप से चलने वाले यातायात को बिना कोई बाधा पहुंचाए चलेगा।

(11) इन विशेष ट्रिपों के लिए वाहन की गति 10 कि. मी./घंटा से अधिक नहीं होगी।

(12) इन भारी वाहनों के लिए पेवमेंट की उपयुक्तता और विशेषकर इमारतों वाले क्षेत्रों में मोड़ पर मुड़ने की व्यवहार्यता, सड़क की पर्याप्त चौड़ाई, सीधे आवागमन के लिए पर्याप्त मार्ग, इत्यादि के बारे में अगर कोई कमी हो तो उसका राज्य लोक निर्माण विभाग के प्रतिनिधियों, परियोजना अधिकारियों तथा वाहन चालकों द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण के माध्यम से पता लगाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन वाहनों की समग्र लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और लदान असामान्य होता है। सड़क नेटवर्क के साथ-साथ यात्रा मार्ग पर किसी भी सुधार की यदि आवश्यकता हुई तो यह ट्रांसपोर्टर द्वारा इस प्रकार के आवागमन की शुरूआत से पहले अपनी लागत पर करना पड़ेगा।

(13) यदि गुजरात राज्य से बाहर वाहन का प्रयोग करना है तो इस प्रकार के प्रचालन के लिए संबंधित राज्य के के. लोक. निर्माण/स्थानीय निकायों से पूर्व मंजूरी लेनी होगी जो उन शर्तों के अध्यधीन होगी जैसी कि जो राज्य सरकार स्थानीय निकायों द्वारा सभी सड़क प्रयोक्ताओं की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए बांधे, सड़कों, पुलों, पुलियों की सुरक्षा के लिए नियत की जाए और जिनके बारे में हरेक बार प्रचालन शुरू करने से पहले प्रचालक द्वारा राज्य के लोक निर्माण विभाग/स्थानीय निकाय और पुलिस अधिकारियों को यथा अपेक्षित सूचित किया जाएगा ।

(14) उक्त वाहन में उपर्युक्त तालिका के खंड 3 और 4 में विनिर्दिष्ट वजन से ज्यादा सामान नहीं लादा जाएगा ।

(15) रेलवे के किसी फाटक, अथवा किसी ओवर-ब्रिज, अंडर-ब्रिज को पार करने के लिए रेल प्रशासन से अलग से इजाजत लेनी होगी ।

(16) किसी सड़क के बांचे/पुल/पुलिया/क्रासवे पर वाहन चलते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि वाहन धीमी गति से चले तथा इसका कोई प्रभाव न पड़े तथा ब्रेक नहीं लगाए जाएं और उस समय उस बांचे पर कोई वाहन न हो ।

[सं.–आरटी–11042/5/92एम.वी.एल.]

जी. के. पिल्लै, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Transport Wing)

ORDER

New Delhi, the 22nd May, 1992

S.O. 354(E). --Whereas the Central Government is of the opinion that heavier weight that the maximum safe laden weight and the maximum safe axle wieght of each axle of the vehicle as specified in this Ministry's notification No. S.O. 416(E), dated 8-6-89 issued under sub-section (i) of Section 58 of the Motor Vehicle Act, 1988 (59 of 1938) may be permitted for the vehicle of the type specified incolumn (1) of the table given below in the locality specified in column (2) of the said table.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by the provision to sub-section (3) of Section 58 of the said act, the Central Govt. hereby directs that the provisions of the said sub-section (1) shall apply to the said type of vehicle subject to the modifications/conditions specified hereunder below the said table :—

TABLE

Type of vehicle	Locality of operation (route)	Gross vehicle weight	Registered axle weight	Dimensions
1	2	3	4	5
HMV Platform mounted with Coles Hydra Crane 25/28 tonnes.	Shortest route between Meteur and Valparai specified as per G.O.No. 1270 Home Tr. V. dt 24/3	32.475 Tonnes	Front Axle load 7.599 tonnes Maximum Single axle load 12.438 tonnes	Overall length 9.85 m Overall width 2.50m Overall Height 6.63m Over-hangs (a) front 2.57m (b) Rear 1.99m

3. Relaxation of vehicle|axle loads being accorded through this notification is only for registration purposes. This is not meant as general permission for the transporter to freely move these vehicles along any road section. Before actual use of these vehicles, in each case, specific route permits for movement of the respective have consignments along the concerned route(s) will have to be obtained by the transporter from the Gujarat and the other State Govts. PWDs and concerned Local Authorities duly incorporating therein adequate safety precautions in respect of the roadway and structures thereon, based on detailed condition survey of the travel routes. The condition survey will be jointly done by the transport operator and the respective State PWD(s). Where it involves National Highways, association of the Roads Wing of this Ministry would be necessary.

Alternatively, the condition survey could be got done through a Consultant working closely with the transporter and the PWD. The conditions set-forth as under will also requires to be complied with :

(i) No movement of the vehicle will take place without prior condition|rating survey of the proposed route and a permit being obtained

by the transporter from the respective State Govt. agencies after satisfying the traffic-worthiness of the travel route(s);

(ii) Based on the condition survey, all deficiencies of weak structures, bridges, culverts, etc. along the travel route which may jeopardise the safety or structures or over-weight|over-dimensioned consignments, besides affecting the smooth flow of traffic will be identified. Necessary improvement precautionary measures in the light of the deficiency survey will be undertaken at the cost of transporter before such movements are permitted. In this context, some of the possible safety|corrective measures, amongst others, needing consideration could be strengthening|propping-up|reconstruction of weak bridges and culverts, providing bed level diversions instead of permitting movement over weak structure, strengthening weak pavements, control of travel speed of such vehicles, limiting the movement to day time or only during dry weather, regulation of such movements by guide vehicles for purposes of night visibility, etc.

(iii) Load restrictions on various roads stipulated by the Public Works Department|Local Authorities will be observed as necessary and permission of such Authorities will be obtained before the vehicles are put on the roads;

(iv) The loades vehicle will not be allowed to pass over bridges and other cross-drainage structures on the roads beyond their capacity and the transporter will have to make his own arrangements to cross the river|nallahs through bed-level diversions etc. as directed by the PWD|Local Authorities;

(v) Cost of repairs of any damage to the road and road structures either directly or indirectly due to the movement of these heavy vehicles, shall be borne wholly by the transporters as per the assessment by the State PWD;

(vi) The route to be followed shall be pre-determined and advance permission shall be obtained from the concerned Executive Engineer of the State PWD|Local Bodies regarding each movement of these heavy vehicles;

(vii) The Central Government|State Govt.|PWD shall not be responsible for any damage that may be sustained either by the said combination of vehicles or their contents consequent during the transit;

viii) The grant of this permission to the movement of these vehicles does not prevent the local officers of the State PWD|Local bodies from regulating or stopping movement of these vehicles depending upon the exigencies of the situating and having regard to the condition of the road and road structures.

(ix) All the necessary warning signals such as red flags in the day time and red light in the night time shall be provided to indicate the extremities of the vehicle clearly.

(x) The said vehicles shall be moved without any hindrance to the normal flow of traffic.

(xi) For such special trips, the speed shall not exceed 10 Kms|hour.

(xii) The fitness of pavement for the movement of this heavy vehicles as well as the feasibility of negotiating the curves especially in built up areas, sufficiency of road width, sufficiency of vertical clearance should be decided upon, prior to the movement of these heavy vehicles through a route survey by the representatives of the State PWD, project authorities and the vehicle operators so as to identify deficiencies if any. This is because the overall length, breadth, height and loading of these vehicles are abnormal. Any needed improvement of the road network along the travel route will have to be got done by the transporter undertaking such movements at his own cost.

(xiii) In case the vehicle is to be used outside the State of Gujarat, such an operation will be with the prior approval of the concerned State PWD|Local Bodies and subject to such conditions as the State Govt.|Local Bodies may specify for the safety of structures, roads, bridges, road-users culverts and with due regard to safety to all road users, for which the State PWD|Local Bodies and the Police authorities will be kept duly informed by the operator, every time the operations are effected.

(xiv) The weights specified in columns No. 3&4 in the Table given above shall not be increased in the said vehicle;

(xv) Separate prior permission from the Railway Administration shall be obtained before crossing any level crossing or any over-bridge|under-bridge of the railway.

(xvi) While moving on any road-structure|bridge|culvert|causeway, it shall be ensured that the said vehicle move at crawling speed without causing any impact and without applying brakes and while no other vehicle is on that structure.

[No. RT-11042|5|92-MVL]

G. K. PILLAI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992